

केवल एक अल्लाह तआला से इरव्लास व निष्ठा के साथ दुआ  
मांगने से संबंधित दुविधा में डालने वाली

## आठ भ्रांतियां एवं उनके उत्तर

लेखक:

माजिद बिन सुलैमान अल-रसी

अनुवाद:

साबिर हुसैन मोहम्मद मोजीबुर रहमान

الترجمة الهندية لكتاب:

دليل الحيران لأجوبة الشبهات الثمان المتعلقة بإخلاص الدعاء للواحد الديان

لفضيلة الشيخ:

ماجد بن سليمان الرسي / حفظه الله

## पुस्तक का विवरण

- पुस्तक का नाम:** केवल एक अल्लाह तआला से इख्लास व निष्ठा के साथ दुआ मांगने से संबंधित दुविधा में डालने वाली आठ भ्रांतियां एवं उनके उत्तर
- लेखक:** माजिद बिन सुलैमान अल-रस्सी
- अनुवादक:** साबिर हुसैन मोहम्मद मोजीबुर रहमान
- प्रकाशन वर्ष:** १४४२ हिजरी – २०२१ ईस्वी
- ईमेल:** [sabirhussainzamanwi@gmail.com](mailto:sabirhussainzamanwi@gmail.com)
- मोबोईल:** ००९६६ – ५०६०३०५३३

الكتاب منشور في موقع صيد الفوائد و إسلام هاوس

[/https://islamhouse.com/hi/main](https://islamhouse.com/hi/main)

<http://www.saaaid.net/book/list.php?cat=92>





















- आठवीं भ्रांति: जईफ़ एवं मौजूअ (कमज़ोर एवं निराधार) हदीसों की भ्रांति, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सात हैं।
- अध्याय: शुबुहात (भ्रामक चीज़ों) से बचने हेतु सतर्क करना, इसके अंतर्गत कुल ग्यारह पाठ हैं।















ने यह सूचना दे रखी है कि वह शिर्क (बहुदेववादिता) को कभी क्षमा नहीं करेगा<sup>(1)</sup>। उनका कथन समाप्त हुआ।

मैं यह कहता हूँ केवल अल्लाह से ही दुआ करने को वाजिब करार देने वाले प्रमाणों में से एक अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वह हदीस भी है जिसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जब माँगो तो केवल अल्लाह से ही माँगो, और जब सहायता चाहो तो केवल अल्लाह से ही सहायता चाहो”<sup>(2)</sup>।

यदि ग़ैरुल्लाह से माँगना तथा दुआ करना जायज़ होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनको अवश्य ही ऐसा कहते कि: “मुझ से माँगो” अथवा “मुझसे सहायता चाहो”, और चूँकि आपने ऐसा नहीं कहा -जबकि आप उस समय उन्हें शिक्षा दे रहे थे- अतः प्रमाणित हुआ कि ग़ैरुल्लाह से माँगना एवं दुआ करना जायज़ नहीं है।

अबू हुँरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “प्रत्येक रात्रि जब एक तिहाई रात बाकी रह जाती है तो अल्लाह तआला सांसारिक आसमान पर उतरता है, और कहता है: कौन है मुझसे माँगने वाला कि मैं उसकी माँग पूरी कर दूँ, कौन है मुझसे माँगने वाला कि मैं उसे दूँ, कौन है मुझसे क्षमा चाहने वाला कि मैं उसे क्षमा कर दूँ”<sup>(3)</sup>।

इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में स्पष्ट रूप से ग़ैरुल्लाह से माँगने से रोका गया है, चुनाँचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जो इस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हुआ कि वह अल्लाह के सिवाय अन्य निद<sup>(4)</sup> को पुकारता था वह जहन्नुम में दाखिल होगा”<sup>(5)</sup>।

अबू हुँरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “क्र्यामत के दिन जहन्नुम की गर्दन बाहर निकलेगी, जिसकी दो आँखें होंगी जिनसे

(1) अल-सैफ अल-मसलूल अला आबिदिरसूल (१३१-१३२)।

(2) इसे तिर्मिज़ी (२५१६), एवं अहमद (१/ ३०३) ने रिवायत किया है, तथा अलबानी ने सहीह करार दिया है।

(3) इस हदीस को बुखारी (११४५) तथा मुस्लिम (१७७२) आदि ने रिवायत किया है।

(4) निद अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है: समान, समकक्ष, समतुल्य इत्यादि।

(5) इस हदीस को इمام बुखारी (४४९७) ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।





## शफ़ाअत (सिफ़ारिश) से संबंधित नियम

शफ़ाअत क़ुरआन व हदीस तथा मुसलमानों के इज्मा (सामूहिक राय, एकमत) से प्रमाणित है, शफ़ाअत मूल रूप से अरबी शब्द (शफ़अ) से निकला है, जिसका अर्थ जोड़ा (सम) होता है, जो कि वित्र (विषम) का विलोम है, निष्कर्ष यह निकला कि एक में एक को जोड़ देने पर जो जोड़ा बनता है उसे “शफ़अ” कहते हैं।

“शफ़अ” को कई रूप में परिभाषित किया गया है, उदाहरणस्वरूप किसी व्यक्ति का किसी तीसरे व्यक्ति के पास जा कर अपने भाई के लिए सिफ़ारिश करना कि वह उसे क्षमा कर दे, शफ़ाअत कहलाता है, और इसको शफ़ाअत (जोड़ा) इस लिए कहते हैं कि इसके पूर्व वह व्यक्ति जो सिफ़ारिश चाह रहा था अकेला था, लेकिन यह जब उस के संग मिल गया तो वह जोड़ा (शफ़अ) हो गया, शफ़ाअत (सिफ़ारिश) को दूसरे शब्दों में वास्ता भी कहा जाता है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम शाफ़ैअ (सिफ़ारिश करने वाला) इसलिए है क्योंकि आप क़यामत के दिन अल्लाह के निकट, लोगों की कई प्रकार से शफ़ाअत करेंगे, ध्यान रहे कि शफ़ाअत के अनेक प्रकार हैं, जैसे, समस्त नबी शफ़ाअत करेंगे, मोमिन शफ़ाअत करेंगे, फ़रिश्ते शफ़ाअत करेंगे, बच्चे शफ़ाअत करेंगे, क़ुरआन अपने पढ़ने वाले के लिए शफ़ाअत करेगा, रोज़ा शफ़ाअत करेगा। अल्लाह तआला से प्रार्थनारत हूँ कि, हे अल्लाह! तू हमें उन लोगों में से बना जिन्हें क़यामत के दिन शफ़ाअत करने वालों की शफ़ाअत नसीब होगी।

शफ़ाअत का उद्देश्य वास्तव में शफ़ाअत करने वाले की प्रधानता साबित करना है, क़यामत के दिन सबसे बड़े शफ़ाअत करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम होंगे, क़यामत के दिन आप पाँच प्रकार से शफ़ाअत करेंगे, जिनमें से चार केवल आप के लिए विशेष रूप से आरक्षित है, जबकि एक प्रकार की शफ़ाअत में और लोग भी आप के साथ शामिल होंगे।











































































कोई संदेह नहीं कि दुआ इबादत (पूजा) के महत्वपूर्ण किस्मों में से है, दुआ में इबादत का अर्थ गहरी पैठ रखता है, अतः दुआ को केवल अल्लाह तआला के लिए अंजाम देना वाजिब व अपिहार्य है, अल्लाह तआला ने अपनी अंतिम पुस्तक कुरआन में अनेक स्थान पर इसका आदेश दिया है, चुनांचे अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ﴾  
 ﴿كِرَهِتُمْ﴾ (तुम अल्लाह को पुकारते रहो, उसके लिये दीन (धर्म) को ख़ालिस व निश्छल कर के, यद्यपि काफ़िर बुरा मानें)। सूरह ग़ाफ़िर: १४ । दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमाया: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (ये मस्जिदें केवल अल्लाह के लिये आरक्षित हैं, अतः अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो)। सूरह अल-जिन्न: १८ । यहाँ अरबी भाषा के शब्द ﴿أَحَدًا﴾ (अहदन (अर्थात् अकेला) में नबी तथा अन्य सभी लोग शामिल हैं, क्योंकि अहदन (अकेला) नकरा (अनिश्चयवाचक सर्वनाम) नह्य (वर्जना) के पश्चात प्रयोग किया गया है, जो व्यापक अर्थ देता है, अतः यह अल्लाह तआला के सिवा सभी को सम्मिलित है, एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमाया: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا﴾  
 ﴿لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ (अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीज़ की उपासना मत करो जो तुमको न

उनकी आवश्यकता पूर्ति करने के लिये प्रख्यात थे। वह प्रत्येक मुसलमान को नसीहत तथा सदुपदेश देने के लिये भी जाने जाते हैं चाहे वह व्यक्ति किसी भी पद पर आसीन हो, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ देशों के ग़ैर मुस्लिम हुकमरानों एवं शासनाध्यक्षों को भी नसीहत करने का पुनीत कार्य अंजाम दिया। उनकी शैक्षिक, दावती तथा तरबियत संबंधी सेवाओं का बखान कुछ पंक्तियों में कर पाना असंभव है। उनकी जीवनी के ऊपर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें से उनके सलाहकार डॉक्टर मुहम्मद बिन साद अल-शोवैइर द्वारा लिखी गई “अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ आलिमुन फ़क़दतहुल उम्मत” तथा उनके कार्यालय के निदेशक शैख मुहम्मद बिन मूसा अल-मूसा की “जवानिब मिन सीरतिल इमाम अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह” उल्लेखनीय हैं। शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह का देहांत सन १४२० हिज्री के प्रारंभ में हुआ और उस समय उनकी आयु ९० वर्ष थी। उनकी मृत्यु की सूचना सुनकर संसार भर में कोहराम मच गया, विशेषतः मुस्लिम घरानों में उनकी मृत्यु का समाचार बिजली बन कर गिरा। बड़ी संख्या में वज़ीर, युवराज, उलेमा, क्राज़ी, शिक्षाविद् तथा आम लोग उनके जनाज़ा की नमाज़ पढ़ने के लिये जुटे, मस्जिद -ए- हुराम में उनके जनाज़ा की नमाज़ अदा की गई, दस लाख से अधिक की संख्या में लोग उनके जनाज़ा में सम्मिलित हुये, लम्बे समय तक समाचारपत्रों में आपकी मृत्यु से संबंधित आलेख छपते रहे, आपकी मृत्यु के पश्चात बड़ी संख्या में आपसे संबंधित गद्य एवं पद्य में आपका मर्सिया (शोक-काव्य) लिखा गया।





















नहीं है, जिससे इन वास्तों का निराधार होना स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ये वास्ते यदि वास्तव में लाभदायक होते तो ये लोग समृद्धि एवं संकट दोनों स्थितियों में उन्हें दुआ का वास्ता व माध्यम बनाते। अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا

﴿١٥﴾ ﴿بَجَّهْمَ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ (जब यह लोग कश्तियों में सवार होते हैं तो अल्लाह तआला को ही पुकारते हैं उसके लिए दीन (इबादत) को शुद्ध करते हुए, फिर जब वो उन्हें बचा कर सूखे की ओर ले आता है तो उसी समय शिर्क करना आरंभ कर देते हैं)। सूरह अल-अनकबूत: ६५ । दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला ने इशाद फ़रमाया: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ كُمُ أَنْتُمْ كُمْ﴾

﴿١٦﴾ ﴿عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيَّرَ اللَّهُ دَعْوَانَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فِي كَسْفِ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تَشْرِكُونَ﴾ ﴿١٩﴾ (आप कहिए कि अपना हाल तो बताओ कि यदि तुम पर अल्लाह का कोई अज़ाब आ जाए, अथवा तुम पर प्रलय आ जाए तो क्या अल्लाह के सिवाय किसी अन्य को पुकारोगे, यदि तुम सच्चे हो, बल्कि विशेष रूप से उसी को पुकारोगे, फिर जिसके लिए तुम पुकारोगे यदि वह चाहे तो उसको हटा भी दे, और जिनको तुम साझी बनाते हो उन सब को भूल जाओगे)। सूरह अल-अनआम: ४०-४१ ।

इससी वास्तविकता को इकरिमा बिन अबू जह्ल रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी पा लिया था जो उनके इस्लाम में प्रवेश का कारण बना। इब्ने सअद ने “अल-तबक्रात अल-कुब्रा” में इकरिमा रज़ियल्लाहु अन्हु के जीवनी में इब्ने अबू मुलैका के हवाले से लिखा है कि मक्का विजय के मौका पर इकरिमा बिन अबू जह्ल ने भागते हुए समुद्री मार्ग चुना, यात्रा के बीच में समुद्री तूफान आ गया, तो नाव चलाने वाले मल्लाह अल्लाह से दुआ माँगने लगे और उसकी वहदानियत (एकेश्वरवाद) की दुहाई देने लगे, इकरिमा ने प्रश्न किया: यह क्या मामला है? नाविकों ने कहा कि: यह ऐसी स्थिति तथा ऐसा स्थान है जहाँ केवल अल्लाह से ही लाभ की उम्मीद रखी जा सकती है, यह सुन कर इकरिमा ने कहा: यह तो वही मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का माबूद (पूज्य) है जिसकी ओर वह हमें दावत देते हैं, तुम लोग हमें वापस ले चलो, अतः वापस आकर उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया।

मेरा कहना है: जाहिलीयत युग में मुश्रिकीन ऐसा ही किया करते थे, वो लोग विपदा एवं संकट के समय केवल अल्लाह को पुकारते थे तथा समृद्धि एवं संपन्नता की स्थिति में अल्लाह तआला के साथ-साथ गैरुल्लाह से भी दुआ किया करते थे। हमारे इस युग के मुश्रिकीन जो















गैरुल्लाह की पूजा की? तुमने अल्लाह के असमा व सिफ़ात (नाम एवं विशेषता) तथा उसकी रुबूबियत में क्या कमी थी जो तुम्हें गैरुल्लाह की पूजा करने की जरूरत पड़ गई, अल्लाह तआला के बारे में तो तुम्हारे गुमान वह होना चाहिए था जो उसकी शान के लिए उचित हो, अर्थात वह हरेक चीज़ जानता है, वह हरेक चीज़ करने में सक्षम है, अपने सिवाय समस्त जीव से वह गनी (बेनियाज़, निस्पृह) है, वह अकेला ही जीव-जंतु के सभी मामलों का प्रबंधन करने वाला है, कोई भी गैरुल्लाह उसके प्रबंधन में दखल नहीं दे सकता है, वह सभी मामलों की हरेक तफ़्सील से भली भांति परिचित है, मखलूक की कोई भी पुत्र चीज़ उससे छिप्त नहीं है, वह अपनी मखलूक के लिए अकेले काफी है, वह किसी सहायक का मोहताज नहीं है, वह स्वयं रहमान है, उसे अपनी रहमत न्योछावर करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि कोई उससे कृपा का लालसी हो, सांसारिक राजाओं एवं महाराजाओं का हाल इसके बिल्कुल विपरीत है, उन्हें इसकी आवश्यकता होती है कि कोई उन्हें रियाया की स्थिति तथा आवश्यकताओं के प्रति सजग करे, तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में उनकी सहायता करे, इन बादशाहों को इसकी आवश्यकता होती है कि कोई किसी पर दया कृपा करने के लिए उनसे सिफ़ारिश करे, ये लोग जरूरत पड़ने पर वास्ता के मोहताज होते हैं, जो उनकी असहायता, दुर्बलता, बेबसी तथा ज्ञान की कमी को दर्शाते हैं।

अल्लाह तआला तो वह है जो हरेक चीज़ पर क्रादिर व समर्थ है, जिसकी ज्ञात सर्वोच्च तथा हरेक चीज़ से बेनियाज़ है, जो सर्वज्ञानी है, जो रहमान व रहीम है, जिसकी रहमत हरेक चीज़ को घेरे हुए है, ऐसे सर्वोच्च व्यक्तित्व के स्वामी तथा उसके मखलूक के मध्य वास्ता बनाना वास्तव में उसकी रुबूबियत, उल्हियत तथा वहदानियत में दोष निकालना है। इस प्रकार से वास्ता बनाने की धारणा रखना अल्लाह की क्रुदरत, हिकमत तथा उसके इख्तेयार (अधिकार) के संबंध में बदगुमानी पालना है, यह असंभव है कि अल्लाह तआला वास्ता बनाने को मशरूअ (उचित) करार देगा, इसके जायज़ होने को बुद्धि व नैसर्गिकता स्वीकार नहीं करती, बौद्धिक तौर पर देखा जाए तो इसकी कुरूपता सभी कुरूपता से बढ़ कर है।

इससे यह बात पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाती है कि इबादत करने वाला (पूजक) अपने माबूद (पूज्य) का सम्मान करता है, उसे अपना उपास्य समझता है, उसके समक्ष हीनता एवं तुच्छता अपनाता है, अल्लाह तआला अकेला इस योग्य है कि उसकी इबादत की जाए, उसके समक्ष हीनता एवं तुच्छता का भाव प्रकट किया जाए, उसका सम्मान किया जाए, उसे पूर्णरूपेण माबूद व पूज्य समझा जाए इन सभी चीज़ों के योग्य केवल अल्लाह तआला ही है।





































इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह सूरह अल-मुद्स्सिर की इस आयत: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفَاعِينَ﴾ (सिफ़ारिश करने वालों की सिफ़ारिश भी उन्हें कोई लाभ नहीं पहुँचा सकेगी) की तफ़्सीर में लिखते हैं: “सिफ़ारिश उसी समय लाभदायक व कारगर साबित होगी जब सिफ़ारिश की जगह उसके लिए उचित व मुनासिब हो, क्योंकि अल्लाह तआला क़्यामत के दिन जिसे कुफ़्र की हालत में पाएगा उसका ठिकाना जहन्नुम ही होगा, जिसमें वह सदा रहेगा”।

उपरोक्त दोनों शर्तों को अल्लाह तआला ने इस आयत में इकट्ठा बयान कर दिया है: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (बहुत से फ़रिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफ़ारिश कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा सकती, अलबत्ता यह बात और है कि अल्लाह तआला अपनी प्रसन्नता एवं मर्जी से जिसके लिए चाहे अनुमति दे दे)।













मेरे लिए अपने नेक बंदों को सिफ़ारिशी बना दे। ये या इस प्रकार की अन्य अच्छी दुआएं ही की जाएं जिन में मखलूक से किसी प्रकार का कोई संबंध प्रकट न हो।

रही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या किसी और से सिफ़ारिश तलब करने की, तो यह दुआ करने की श्रेणी में आता है, और दुआ इबादत है जिसे गैरुल्लाह के लिए अंजाम देना जायज़ नहीं है, जिसने गैरुल्लाह को पुकारा या उससे दुआ माँगी उसने शिर्क किया, और शिर्क करने वाले की सिफ़ारिश कोई भी नहीं करेगा, एवं न ही कोई उसे किसी प्रकार का लाभ पहुँचा सकेगा, गरचे मुश्रिक उसके लिए कुछ भी कर ले, क्योंकि शिर्क सिफ़ारिश के मार्ग में बड़ी रुकावट है, इसके साथ ही यह जन्नत में प्रवेश पाने के मार्ग में भी रुकावट है<sup>(1)</sup>।

---

<sup>(1)</sup> इस मसला को और अधिक विस्तार से पढ़ने के लिए अल्लामा शंकीती रहिमहुल्लाह की पुस्तक “अज्वाउल बयान” में सूरह अल-बक्रा आयत (४८) तथा सूरह मरियम आयत (८७) में उनका कथन पढ़ें। इसके अतिरिक्त उनकी एक और कृति “दफ़उ ईहाम अल-इज़तेराब अन आयातिल किताब” में सूरह यूनस आयत (१८) को भी पढ़ें।















किसी बंदे को हासिल होगा, मुझे आशा है कि वह बंदा मैं ही रहूँगा, जिसने मेरे लिए अल्लाह से वसीला माँगा उसे मेरी सिफ़ारिश हासिल होगी”<sup>(1)</sup>।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें यह शिक्षा भी दी है कि, हम आपके लिए, एवं आकाश व धरा के सभी नेक बंदों के लिए, दुआ करें जैसाकि तशहहद वाली दुआ में अत्तहीयात के कलेमा में ये शब्द आए हैं: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله ... الصالحين (हे नबी, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत व बरकत उतरे, और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो)।

**नौवां कारण:** नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुआ माँगने के बातिल होने की, एक दलील यह भी है कि, वो सब लोग जिनकी अल्लाह को छोड़ कर पूजा की जाती है, क्रयामत के दिन अपने पूजकों को बेसहारा छोड़ देंगे एवं स्वयं को उनसे अलग-थलग कर लेंगे, ऐसा करने वाले नबी भी होंगे तथा नबी के अलावा और लोग भी।

ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाइयों से बराअत व अलगाव जाहिर करेंगे जो दुनियाँ में उनकी पूजा करते थे, अल्लाह तआला का फ़रमान है है: **وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ آنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنْ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ٭ مَا قُلْتَ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ٭** (तथा जब अल्लाह (प्रलय के दिन) कहेगा: हे मरियम पुत्र ईसा! क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह को छोड़ कर मुझे तथा मेरी माता को पूज्य (आराध्य) बना लो? वह कहेंगे: तू पवित्र है, मुझ से यह कैसे हो सकता है कि ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे कोई अधिकार नहीं? यदि मैंने ऐसा कहा होगा, तो तुझे अवश्य उसका ज्ञान हुआ होगा। तू मेरे मन की बात जानता है, परंतु मैं तेरे मन की बात नहीं जानता, वास्तव में तू ही ग़ैब (भविष्य, परोक्ष) की बातें जानने वाला अति ज्ञानी है। मैंने तो उनसे केवल वही कहा था, जिसका तूने मुझे आदेश दिया था कि अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा रब तथा तुम सभी का रब (पालनहार) है)। सू़रह अल-माइदा: ११६-११७।

<sup>(1)</sup> इस हदीस को मुस्लिम (३८४) ने रिवायत किया है।

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً﴾ दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: (उन्होंने अल्लाह के सिवाय दूसरे माबूद (आराध्य) बना रखे हैं कि वो उनके लिए सम्मान का कारण हों, किंतु कदापि ऐसा नहीं होना, वो तो उनकी पूजा के इंकारी हो जाएंगे और उलटे उनके शत्रु बन जाएंगे)। सूह मरियम: ८१-८२। एक जगह पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ (उससे बढ़ कर कौन गुमराह होगा जो अल्लाह के सिवाय ऐसों को पुकारता है जो क़यामत तक उसकी दुआ को स्वीकार न कर सकें, बल्कि उनकी पुकार से पूरी तरह अनभिज्ञ हों, और जब लोगों को संग्रहित किया जाएगा तो ये उनके शत्रु हो जाएंगे एवं उनकी पूजा का साफ इंकार कर देंगे)। सूह अल-अहक्राफ़: ५-६। एक स्थान पर अल्लाह तआला का कथन है: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَأَتُكُمْ النَّارُ وَمَا سَاهُوا﴾ (तुमने तो अल्लाह को छोड़ कर मूर्तियों को प्रेम का साधन बना लिया है अपने बीच सांसारिक जीवन में, फिर प्रलय के दिन तुम एक-दूसरे का इंकार करोगे तथा धिक्कारोगे एक-दूजे को, और तुम्हारा आवास नरक होगा, और नहीं होगा तुम्हारा कोई सहायक)। सूह अल-अंकबूत: २५। अल्लाह तआला फ़रमाता है: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَّتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَدْبَعِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ (जिस दिन वह एकत्र करेगा उनको और जिनकी वो इबादत (वंदना) करते थे अल्लाह के सिवा, तो वह (अल्लाह) कहेगा: क्या तुम्हीं ने मेरे इन भक्तों को कुपथ किया है अथवा वे स्वयं कुपथ हो गए वे कहेंगे: तू पवित्र है! हमारे लिए यह मुनासिब नहीं था कि तेरे सिवा कोई संरक्षक बनायें, परंतु तूने सुखी बना दिया उनको तथा उनके पूर्वजों को यहाँ तक कि वो शिक्षा को भूल गए, और वो थे ही विनाश के































































﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ  
 رِجْسٌ وَعَظْبٌ مُّجْدِلُونِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ  
 سُلْطَانٍ﴾ (बस अब तुम पर अल्लाह की ओर से अज़ाब व क्रोध आने ही वाला है, क्या तुम  
 मुझसे ऐसे नामों के विषय में झगड़ा करते हो जिनको तुमने तथा तुम्हारे पूर्वजों ने ठहरा लिया  
 है? इनके पूज्य होने की अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी)। सूह अल-आराफ़: ७१ ।

























सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम द्वारा लाई हुई शरीअत के कुछ भागों का इंकार किया जाए, यहाँ तक कि कुछ उलेमा ने किसी ऐसे फुरूई (अमूल) मसले का इंकार करने वाले को भी काफ़िर करार दिया है जिस पर सभी उलेमा एकमत हों, अर्थात् उस फुरूई मसले पर उलेमा का इत्तेफाक व इज्माअ हो, उदाहरण स्वरूप वह व्यक्ति जो दादा तथा बहन के विरासत में हिस्सा पाने का इंकार करे, गरचे वह नमाज़ रोज़े का पाबंद ही क्यों न हो। तो फिर वह व्यक्ति जो नेक लोगों को पुकारता है, उनसे दुआ माँगता है तथा उनके लिए इस खालिस व असल तथा मूल इबादत को अंजाम देता है उसका हुक्म क्या होगा? यह बिल्कुल स्पष्ट है। ये बातें चारों मसलक (पंथ) की पुस्तकों में वर्णित हैं, बल्कि कुछ उलेमा ने तो जाहिल (अज्ञानी) की जुबान से निकलने वाले कुछ शब्दों के कारण भी उसको काफ़िर करार दिया है, यद्यपि जुबान से शरीअत विरुद्ध शब्द निकालने वाला नमाज़ व रोज़ा का पाबंद ही क्यों न हो<sup>(1)</sup>।

निष्कर्ष यह निकला कि कलेमा -ए- तौहीद “ला इलाहा इल्लल्लाह” का तकाजा तभी पूरा होता है जब उसमें इंकार व इकरार दोनों पाया जाए, अर्थात् अल्लाह तआला के सिवा जिनकी भी पूजा की जाती है सभी का इंकार किया जाए तथा एक अल्लाह के लिए पूजा मान्य होने का इकरार किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब लोगों के समक्ष इस्लाम के अर्थ को बयान करते तो इन दोनों पहलूओं का उल्लेख करते, अर्थात् अल्लाह तआला की इबादत तथा शिर्क से दूरी। वल्लाहु आलम (अल्लाह अधिक जानने वाला है)।

**दूसरा कारण:** क़बर पूजकों के स्वयं को मुसलमान कहने तथा जुबान से कलेमा -ए- तौहीद “ला इलाहा इल्लल्लाह” का इकरार करने के बावजूद उनके काफ़िर होने की एक दलील यह भी है कि, अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त (शासनकाल) में जिन लोगों ने ज़कात देने से मना कर दिया था, वो लोग भी जुबानी तौर पर इसको पढ़ते थे, इसके बावजूद ज़कात देने से इंकार करने वाले इन लोगों से युद्ध करने पर सभी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम एकमत थे, क्योंकि इस्लाम के तीसरे स्तंभ ज़कात के वाजिब होने का इंकार करने से इंसान काफ़िर हो जाता है, यद्यपि ज़कात का इंकार करने वाले ये लोग कलेमा “ला इलाहा इल्लल्लाह” को जुबान से अदा करते रहे हों। ज़कात का इंकार करने वालों से युद्ध करने वाली बात में हमारे मसले की दलील इस प्रकार निकलती है कि यदि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में कोई व्यक्ति इस्लाम के प्रारंभिक एवं बुनियादि स्तंभ “ला इलाहा इल्लल्लाह” के तकाजों का इंकार कर देता, अर्थात्

<sup>(1)</sup> अल-दुरर अल-सनीय्या मिन अल-अजविबा अल-नज्दीय्या (१/ ५२३-५२४)।







इन्हीं शब्दों के साथ इस भ्रांति का जवाब पूर्ण हुआ कि “जो लोग क़ब्र वालों को पुकारते हैं एवं उनसे दुआ माँगते हैं और वह कलेमा “ला इलाहा इल्लल्लाह” भी पढ़ते हैं तब भी आप उनको काफ़िर क्यों मानते हैं?”













उनमें से कौन कौन अधिक निकट हो जाए, वो उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं एवं उससे भयभीत रहते हैं (बात भी यही है) कि तेरे रब का अज़ाब डरने की चीज़ ही है। सूरह बनू इस्त्राईल: ५६-५७।

इस आयत ﴿فُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ﴾ में अल्लाह को छोड़ कर किन पूज्यों को पुकारने की बात कही गई है? इस संबंध में मुफ़िसिरीन (क़ुरआन की व्याख्या करने वाले विद्वानों) के बीच मतभेद है।

इब्ने जरीर रहिमुहल्लाह ने इस आयत की तफ़सीर में लिखा है कि कुछ मुफ़िसिरीन जैसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा है कि इससे अभिप्रेत: फ़रिश्ते, उज़ैर एवं मसीह अलैहिमस्सलाम हैं। इब्ने जरीर की नक़ल की हुई की एक रिवायत के अनुसार इस सूची में सूरज एवं चाँद की भी वृद्धि की गई है।

कुछ मुफ़िसिरीन जैसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद एवं क़तादा आदि ने इससे अभिप्रायः जिन्न लिया है।

कुछ दूसरे मुफ़िसिरीन जैसे इब्ने ज़ैद आदि ने इसे केवल फ़रिश्तों के साथ खास किया है।

अब इन स्वयंभू पूज्यों से चाहे जो भी आशय हो किंतु तफ़सीर का एक नियम है कि शब्द के उमूम (आम व व्यापक अर्थ) का एतबार होता है, किसी विशेष कारण का एतबार नहीं किया जाता है। अल्लाह तआला के सिवा जिसकी पूजा की जाती है सभी इसमें शामिल हैं, चाहे वह कोई निर्जीव चीज़ हो अथवा फ़रिश्ता या मानव हो, या चाहे कोई नबी हो अथवा नबी के अलावा कोई और।

सूरह बनी इस्त्राईल की दोनों आयतों के विषय में मुफ़िसिरीन के अनेक कथन हैं, किसी ने इससे अभिप्राय फ़रिश्ता, किसी ने इंसान तो किसी ने जिन्नात लिया है। इस संबंध में शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या रहिमुहल्लाह कहते हैं: “इस आयत में उमूम (आम अर्थ) अभिप्रेत है, अर्थात इसमें हर वह चीज़ शामिल है जिसे अल्लाह तआला के सिवा पुकारा जाता है। जिसने किसी मुर्दा को पुकारा हो, या जिसने फ़रिश्ता एवं जिन्नात को पुकारा हो इस आयत के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, जिन्हें अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है। यह बात विदित एवं स्पष्ट है कि





































इस हदीस से यही मालूम होता है कि वह जिन्निया (महिला जिन्नात) उज्जा नामक बुत के पास बसेरा किए हुए थी।

इसे समझने के लिए अब्दुल्लाह बिन इमाम अहमद की नकल की हुई वह रिवायत भी काफ़ी है, जिसे उन्होंने मुस्नद अहमद<sup>(1)</sup> के ज़वायद के अंतर्गत (मूल पुस्तक पर वृद्धि करते हुए) बयान किया है। उन्होंने अल्लाह तआला के फ़रमान: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتَاءً﴾ (यह तो अल्लाह को छोड़ कर केवल महिलाओं को पुकारते हैं) की तफ़सीर में उबैइ बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु का यह कथन नकल किया है कि प्रत्येक बुत के साथ एक जिन्निया (महिला जिन्नात) होती है।

इब्ने अबू हातिम कहते हैं कि: हसन से भी इसी तरह का कथन नकल किया गया है<sup>(2)</sup>।

(1) (५/ १३५)। मुस्नद अहमद के अन्वेषकों ने इसकी सनद को हसन कहा है।

(2) देखिये: तफ़सीर इब्ने अबू हातिम (४/ १०६७)। सूरह निसा, आयत संख्या: ११७।































चला जायेगा, यहाँ तक कि जब कोई भी आलिम नहीं बचेगा तो आम लोग अज्ञानियों को अपना सरदार बना लेंगे जो बिना ज्ञान के फ़त्वा देंगे तथा स्वयं भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे”<sup>(1)</sup>।

<sup>(1)</sup> इस हदीस को बुखारी (१००) तथा मुस्लिम (२६७३) ने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है।































नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहारा में जासूसी के लिये सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को क्यों भेजा करते थे? आपने इस कार्य के लिये जिन्नातों से सहायता क्यों नहीं ली?

यदि जिन्नातों से सहायता माँगना जायज़ होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे अवश्य सहायता ली होती, क्योंकि वो किसी की दृष्टि में आये बिना बड़ी तेज़ी के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाने तथा लम्बी दूरी को कम समय में तय करने में, मानव की तुलना में अधिक सक्षम होते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस समय जिन्नातों की सहायता क्यों नहीं ली जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार गुम हो गया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम समेत समस्त मुसलमान परेशान थे?

इस प्रकार के बहुतेरे संयोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के जीवन में आये जहाँ जिन्नातों से सहायता माँगी जा सकती थी, किंतु कहीं पर यह उल्लेख नहीं मिलता है कि उन्होंने जिन्नातों से सहायता ली हो, एक बार भी जिन्नातों से सहायता लेने का प्रमाण कहीं पर नहीं मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत के लिये अत्यंत कृपालु तथा दयावान थे और यदि ऐसा करना जायज़ होता आप अवश्य इस अदृश्य जीव से महत्वपूर्ण अवसरों पर मदद लेते, इससे यह ज्ञात हुआ कि जिन्नातों से सहायता लेना मशरूअ (जायज़, तर्कसंगत) अमल नहीं है बल्कि शरीअत के अनुसार यह वर्जित है।

यदि यह कहा जाये कि करामत के तौर पर कुछ लोगों की सहायता जिन्नातों तथा फ़रिश्तों ने की है?

लिये करामत के तौर पर था, अल्लाह तआला का फ़रमान है: **إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَاتَّبِعُونَا**  
 ﴿الذِّينَ ءَامَنُوا﴾ (उस समय को याद करो जब आपका रब फ़रिश्तों को आदेश देता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अतः तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ)। इस आयत में फ़रिश्तों को वृह्य करने या आदेश देने की बात अल्लाह तआला ने कही है, इससे तात्पर्य यह दर्शाना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तलब करने पर फ़रिश्तों ने जंग में मुलमानों की हिम्मत नहीं बढ़ाई थी, बल्कि वो अल्लाह तआला के आदेश से जंग में शामिल हुये थे।

































अन्य आकर्षक नारों का सहारा ले कर अंजाम दिया जाता है, जोकि विशुद्ध काफ़िर पश्चिमी देशों का तरीका है।

उलेमा तथा शरई विद्या में दक्ष एवं विशेषज्ञों का यह भी दायित्व है कि वो दीन पर होने वाली आपत्तियों का अपने ज्ञान के अनुसार ठोस जवाब दें, ताकि इस प्रकार के मुंकर व गलत बातों के प्रचार प्रसार को रोका जा सके, क्योंकि शक व शुब्हा (भ्रम एवं भ्रांति) मानव शरीर को प्रभावित करने वाले उस रोग के समान है जिसे यदि छोड़ दिया जाए तो वह फैलता ही चला जाता है तथा शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में स्थानांतरित हो जाता है।

इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह उन लोगों का उल्लेख करते हुए जिन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना एवं उसका खंडन करना आवश्यक है, लिखते हैं: “बिद्अत को रिवाज देने वाले लोग जो कुरआन व हदीस के विरुद्ध बातें करते हैं अथवा कितब व सुन्नत के विपरीत इबादत का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे उपद्रवियों एवं विकृत मानसिकता वाले लोगों की वास्तविकता से लोगों को अवगत कराना, तथा उसकी इस मानसिकता से मुसलमानों की रक्षा करने पर सभी उलेमा एकमत हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह से प्रश्न किया गया: एक व्यक्ति नमाज़, रोज़ा एवं एतकाफ़ इत्यादि इबादतों में व्यस्त रहता है, अब आपको ऐसा व्यक्ति प्रिय है अथवा वह जो अहले बिद्अत की खुराफ़ात के बारे में लोगों को सचेत करता है?”

उन्होंने कहा: किसी का नमाज़ पढ़ना तथा एतकाफ़ करना उसकी अपनी ज्ञात के लिए है, जबकि वह व्यक्ति जो अहले बिद्अत के बारे में लोगों को सचेत करता है तो वह मुसलमानों का सच्चा हितैषी एवं शुभचिंतक है, यह उत्तम कार्य है”।

उन्होंने यहाँ यह स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमानों के दीन की रक्षा करने का लाभ आम व व्यापक है, अतः यह अल्लाह की मार्ग में जिहाद करने के समान है, क्योंकि अल्लाह के दीन, उसके तरीका, उसकी शरीअत की सुरक्षा एवं फ़सादियों तथा विकृत मानसिकता वाले लोगों के फ़साद तथा विकृतता को रोकना वाजिब -ए- क़िफ़ाय है, इस मामले में मुसलमानों के बीच कोई मतभेद नहीं है। यदि फ़सादियों के इस उपद्रव एवं फ़साद को रोकने का अल्लाह की ओर से प्रबंध न हो तो दीन का हुलिया बिगाड़ जायेगा, तथा यह बिगाड़ एवं फ़साद किसी हरबी काफ़िर का मुसलमानों की रियासत पर कब्ज़ा कर लेने से अधिक हानिकारक है, क्योंकि कोई काफ़िर यदि मुसलमानों के किसी इलाका पर कब्ज़ा करता है तो यह उनके दीन व ईमान पर प्रत्यक्ष हमला नहीं होगा, किंतु शक व शुब्हा के द्वारा बदअक्रीदगी (अनास्था) फैलाने वाले लोग मुसलमानों के दिलों में मौजूद ईमान व अक्रीदा पर हमला करते हैं एवं उसे विकृत कर देते













पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक
तासीसुत्तक्रदीस फ़ी कश्फे तलबीस दाऊद बिन जरजीस	अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान अबा बुतैन	मुअस्सतुरिसाला – बैरूत
मिन्हाजुत्तासीस वत्तक्रदीस फ़ी कश्फे शुबुहात दाऊद बिन जरजीस	अब्दुल्लतीफ़ बिन अब्दुरहमान आले शैख	दारुल हिदाया – रियाज़
तुहफ़तुत्तालिब फ़ी कश्फे शुबुहि दाऊद बिन जरजीस	सुलैमान बिन सहमान	दारुल आसिमा – रियाज़
अल-ज़िया अल-शारिक़ फ़िर्दि अला अलमारिक़ अलमाज़िक़	सुलैमान बिन सहमान	दारुल आसिमा – रियाज़
अस्सावइक़ अलमुर्सला अश्शहाबीय्या अला अश्शुबुहातिद्वाहिज़तिशशामीय्या	सुलैमान बिन सहमान	दारुल आसिमा – रियाज़
सियानतुल इंसान अन वसवसति अश्शैख़ दहलान	मुहम्मद बशीर सहसवानी हिंदी	मकतबा अल-इल्म – जेद्दा
तायीदुल मलिक अल-मन्नान फ़ी नक्रिज़ ज़लालाति दहलान	सालेह बिन मुहम्मद शिसरी	दारुल हबीब – रियाज़
फ़तहुल मन्नान फ़ी नक्रिज़ शुबुह अल-हाज़ दहलान	ज़ैद बिन मुहम्मद आले सुलैमान	दारुत्तौहीद लिन्नश्र - रियाज़
अर्दु अला शुबुहातिल मुस्तईनीन बि ग़ैरिल्लाह	अहमद बिन इब्राहीम बिन ईसा	दारुल आसिमा – रियाज़
मिस्बाहुज़्ज़लाम फ़िर्द अला मन कज़बा अला अश्शैख़ अल- इमाम	अब्दुल्लतीफ़ बि अब्दुरहमान आले शैख	दारुल हिदाया – रियाज़
अल-मौरिद अल-अज़ब अल- ज़ुलाल फ़ी नक्रिज़े शुबुहि अहलिज़्ज़लाल	अब्दुरहमान बिन हसन आले शैख	दारुल हिदाया – रियाज़

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक
अल-बयान वल-इश्हार लि कश्फ़ ज़ैग़ अल-मुल्हिद अल- हाज मुख्तार	फौज़ान अस्साबिक्र	
गायतुल अमानी फिरद्व अला अल-नबहानी	महमदू शुकरी आलूसी	मकतबा अर्रुशद – रियाज़
कश्फ़ुशुबहतैन	सुलैमान बिन सहमान	दारुल आसिमा – रियाज़
हाज़िही मफ़ाहीमुना – रदु अला किताब मफ़ाहीम यजिबु अयुसहह, लेखक: मुहम्मद बिन अलवी मालिकी-	सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आले शैख़	
दहज़ु शबुहात अलत्तौहीद मिन सूइल फह्व लिसलासति अहादीस	अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अबा बुतैन	दारुल आसिमा – रियाज़
कश्फ़ु ग़याहिबिज़ज़लाम अन औहामि जिलाइल अफ़हाम	सुलैमान बिन सहमान	मकतबा अज़वाउस्सलफ़ – रियाज़
अल-असिन्ना अल-हदाद फ़ी रदे शुबुहात अलवी अल-हदाद	सुलैमान बिन सहमान	मकतबा अज़वाउस्सलफ़ – रियाज़
फ़त्हुल मलिक अल-वहहाब फ़ी रदे शुबुहिल मुर्ताब (रदु अला शुबुहात फ़ी ऐराबि कलिमतित्तौहीद)	अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुर्रहमान आले शैख़	
अल-इब्ताल वर्रफ़ज़ लिउदवानि मन तर्ज़रआ अला	अब्दुलकरीम बिन सालेह अल- हुमैयिद	दारुस्सफ़वा – मिस्र

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक
कश्फ़िशुबुहात, इसके संलग्न है: मलामिहा जहमीय्या		
अल-अहादीस अल-मौजूआ अल्लती तुनाफ़ी तौहीदल इबादा	उसामा बिन अताया अल-उतैबी	मकतबा अरुशद – रियाज़
अल-इख़नाईय्या अथवा अरुदु अललइख़नाई	शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या	दारुल ख़र्राज़ – जेद्दा
अल-लुम्आ फ़िल अज्विबा अस्सबआ	शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या	दारुस्सुमैई – रियाज़
शफ़ाउस्सुदूर फ़िरद अला अल-जवाब अल-मश्कूर	मुहम्मद बिन इब्राहीम आले शैख़	मदारुल वतन – रियाज़
हुक्मुल्लाहिल वाहिदिस्समद फ़ी हुक्मितालिब मिनल मैयति अल-मदद	मुहम्मद बिन सुलता हनफ़ी	दारुल आसिमा – रियाज़
अल-मुशाहिदात अल-मासूमीय्या इंद क़ब्रि ख़ैरिल बरीय्या	मुहम्मद बिन सुलता हनफ़ी	दारुल आसिमा – रियाज़
अल-फ़ुक्रान बैन तौहीद अहलिस्सुन्नति व तौहीदलि कुबूरीय्यीन	मज्दी बिन हमदी बिन अहमद	
ज़ियारतुल कुबूरिशरईय्या वल बिद्ईय्या	मुहयुद्दीन बरकवी हनफ़ी	दारुल आसिमा – रियाज़
अल-मजालिसुल अरबआ फ़ी मजालिसिल अबरार	अहमद रूमी हनफ़ी	दारुल आसिमा – रियाज़
जुहूद उलेमाइल हनफ़ीय्यति फ़ी इब्ताल अक्रादइदिल कुबूरिय्या	शमसुद्दीन सलफ़ी अफ़ग़ानी	दारुस्सुमैई – रियाज़

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक
अल-आयात अल-बैयिनात फ़ी अदमि समाइल अमवात इंदल हनफिय्या अल-सादात	नोमान बिन महमूद आलूसी	अल-मकतब अल- इसलामी – बैरूत
ततहीरुल एतक्राद अन अदरानिल इल्हाद, लेखक: सनआनी, इसी के साथ संलग्न है: शर्हुस्सुदूर फ़ी तहरीम रफ़्इल कुबूर, लेखक: शौकानी	मुहम्मद बिन इसमाईल सनआनी / मुहम्मद बिन अली शौकानी	दारुल मुग़नी – रियाज़
मसअलतु फिज्जबाइहि अल्लाह तआला का फ़रमान है कुबूर वगैरिहा	मुहम्मद बिन इसमाईल सनआनी	दार इब्ने हज़म – बैरूत
शिफ़ाउस्सुदूर फ़ी ज़ियारतिल मशाहिद वल कुबूर	ज़ैनुद्दीन मरई बिन यूसुफ अल- करमी	मकतबा नज़ार अल- बाज़ – मक्का
अल-मज्मूअ अल-मुफ़ीद फ़ी नक्रिज़ल कुबूरिय्याति व नुसरित्तौहीद	मुहम्मद बिन अब्दुर्हमान अल- खमीस	दार अतलस अल- खज़रा – रियाज़
अन्नुबज़ा अशशरीफ़ा अन्नफ़ीसा फ़िर्द्द अलल कुबूरिय्यीन	मुहम्मद बिन नासिर आले मअमर	दारुल आसिमा – रियाज़
मआरिजुल अलबाब फ़ी मनाहिजल हक्क वस्सवाब	हुसैन बिन महदी नअमी	दारुल मुग़नी – रियाज़
मिम बिदइल कुबूर	हमद बिन अब्दुल्लाह अल- हमीदी	दारुल मुतअल्लिम – जुलफ़ी
तहज़ीरुस्साजिद मि इत्तेखाज़िल कुबूर मसाजिद	मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी	अल-मकतब अल- इस्लामी – बैरूत
अस्सारिम अल-मुन्की फ़िर्द्द अला अस्सुबकी	मुहम्मद बिन अहमद बिन अबदुल हादी	मुअस्सतुर्रय्यान – बैरूत

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक
अल-कश्फ अल-मुब्दी लितमवीह अबिल हसन अस्सुबकी (तकमिला अस्सारिम अल-मुन्की)	मुहम्मद बिन हुसैन अल-फ़क्रीह	दारुल फ़ज़ीला – रियाज़
हदमुल मनारा लिमन सद्दहहा अहीदीसित्तवस्सुल वज़िज़यारत	अम्र अब्दुल मुनइम सलीम	दारुज़िज़या – तनता
रिसातुन फि अत्तर्बर्क वत्तवस्सुल वलकुबूर	अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़	मदारुल वतन – रियाज़
अर्दु अला फ़ैसल मुराद अली रज़ा फ़ी मा कतबहु अन शानिल अमवात व अहवालिहिम	सालेह बिन फ़ौज़ान अल-फ़ौज़ान	दारुल आसिमा – रियाज़
अल-इजाबा अल-जलीय्या अला अल-असइला अल- कुवैतीय्या	हमूद बिन अब्दुल्लाह अत्तुवैजिरी	मकतबा अलमआरिफ़ – रियाज़
औज़हुल इशारा फिरद्व अला मन अजाज़ा अल-ममनूअ मिनज़िज़यारा	अहमद बिन यह्या अन्नजमी	मकतबा अल-गुरबा अल-असरीय्या – मदीना
अल-इस्तेगासा फिरद्व अला अल-बकरी	शैखुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या	मकतबा दारुल मिन्हाज – रियाज़
तम्बीह ज़ाइरिल मदीना अला अल-ममनूअ व अल-मशरूअ मिनज़िज़यारा	सालेह बिन ग़ानिम अस्सदलान	दार बलनसिय्या – रियाज़
अल-इंतेसार लि हिज्बल्लाहिल मुवहिदीन व अल-रद्व अला अल- मुजादिलीन अल-मुश्रिकीन	अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अबा बुतैन	दार इब्नुल जौज़ी – दम्माम

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक
शुबुहातिल मुब्तदिआ फ़ी तौहिदल इबादा	डॉक्टर अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अल-हुजय्यिल	मकतबा अर्रुशद – रियाज़
मुजानबति अहलिस्सबूर अल-मुसल्लीन फ़िल मशाहिद इंदल कुबूर (रद्द अला मन अजाज़ा अस्सलात फ़िल मकाबिर व इंदल कुबूर)	अब्दुल अज़ीज़ बिन फ़ैसल अल-राजही	मकतबा अर्रुशद – रियाज़
ज़ियारतुल कुबूर इंदल मुस्लिमीन	सालिम बिन कुतवान अल-ईदान	दारु ग़िरास – कुवैत
बिदउल कुबूर, अनवाउहा व अहकामुहा	सालेह बिन मुक़बिल अल-उसैमी	दारुल फ़ज़ीला – रियाज़
अत्तहज़ीर मिन ताज़ीमिल आसार ग़ैरिल मशरूआ	अब्दुल मुहसिन बिन हमद अल-अब्बाद	दारुल मुग़नी – रियाज़
अल-बयान अल-मुब्दी लि शनाअतिल क़ौल अल-मज्दी। इसी के साथ संलग्न है: रज्मु अहलित्तहक़ीक़ वल ईमान	सुलैमान बिन सहमान	दारु अज़्वाउस्सलफ़ – रियाज़
अल-कुबूरिय्या, नशाअतुहा व आसारुहा	अहमद बिन हसन अल-मुअल्लिम	दार इब्नुल जौज़ी – दम्माम
अल-बिनाउ अला अल-कुबूर	अब्दुर्रहमान बिन यह्या अल-मुअल्लिमी	दार अतलस अल-ख़ज़रा – रियाज़





- 12-अल-दा व अल-दवा, लेखक: इब्नुल कैयिम, अन्वेषी: अली हसन अब्दुल हमीद, प्रकाशक: दार इब्नुल जौजी – दम्माम।
- 13-इगासतुल्लहफ़ान, लेखक: इब्नुल कैयिम, अन्वेषी: अली हसन अब्दुल हमीद, प्रकाशक: दार इब्नुल जौजी – दम्माम।
- 14-मदारिजुस्सालिकीन, लेखक: इब्नुल कैयिम, अन्वेषी: अब्दुल अज़ीज़ बिन नासिर अल-जलील, प्रकाशक: दार तैबा – रियाज़।
- 15-मिफ़्ताह दारुस्सआदा व मंशूर विलायत अहलिल इल्म वर्रियादा, लेखक: इब्नुल कैयिम, अन्वेषी: अली हसन अब्दुल हमीद, प्रकाशक: दार इब्ने अफ़फ़ान, अल-ख़ुबरा।
- 16-तहक़ीक़ कलेमतुल इख़्लास, लेखक: इब्ने रजब हम्बली, अन्वेषी: इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह हाज़िमी, प्रकाशक: दार अशशरीफ़ – रियाज़।
- 17-तजरीदुत्तौहीद अल-मुफ़ीद, लेखक: अहमद बिन अली अल-मिक़रीज़ी मिस्री शाफ़ई, अन्वेषी: अली बिन मुहम्मद अल-इमरान, प्रकाशक: दार आलम अल-फ़वायद – मक्का।
- 18-तासीसुत्तक़दीस फ़ी कश्फ़ तलबीस दाऊद बिन जरजीस, लेखक: अब्दुल्लाह अबा बुतैन, प्रकाशक: मुअस्सतुर्रिसाला – बैरूता।
- 19-मिन्हाजुत्तासीस वत्तक़दीस फ़ी कश्फ़ शुबुहात दाऊद बिन जरजीस, लेखक: अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन आले शैख़, प्रकाशक: मक़तबा अल-हिदाया – रियाज़।
- 20-अन्नबज़ा अशशरीफ़ा अन्नफ़ीसा फिरद अलल कुबूरिय्याति, लेखक: हमद बिन नासिर आले मअमर, अन्वेषी: अब्दुस्सलाम बिन बरजिस, प्रकाशक: दारुल आसिमा – रियाज़।
- 21-अल-मज्मूअ अल-मुफ़ीद फ़ी नक़्िज़ल कुबूरिय्याति व नुस्रित्तौहीद, लेखक: डॉक्टर मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-ख़मीस, प्रकाशक: दार अतलस अल-ख़ज़रा – रियाज़।
- 22-शिफ़ाउस्सुदूर फ़ी ज़ियारतिल मशाहिद वल कुबूर, लेखक: ज़ैनुद्दीन मरई बिन यूसुफ़ अल-करमी, प्रकाशक: मक़तबा नज़ार अल-बाज़ – मक्का।

- 23-अर्दुर अन्नज़ीद फ़ी इख़लास कलेमतितौहीद, लेखक: मुहम्मद बिन अली शौकानी, अन्वेषक: मुहम्मद अलही हलबी, प्रकाशक: दार इब्ने ख़ुज़ैमा – रियाज़।
- 24-फ़रूलुल मक़ाल फ़ी तवस्सुलिल जुह्हाल, लेखक: मुहम्मद आरिफ़ ख़ूकीर कतबी मक्की, प्रकाशक: दारुल मुस्लिम – रियाज़।
- 25-अल-दुर अल-सनीय्या फ़ी अल-अजविबा अल-नज्दीय्या, संकलन: अब्दुरहमान बिन मुहम्मद बिन क़ासिम, प्रकाशक: दारुल क़ासिम – रियाज़।
- 26-दुमअतुन अलतौहीद (हक़ीक़तुल कुबूरीय्या व असरुहा फ़ी वाक़इल उम्मत), प्रकाशक: अल-मुंतदा अल-इस्लामी – लंदन।
- 27-तुहफ़तुज्जाकिरीन, लेखक: मुहम्मद बिन अली शौकानी, प्रकाशक: मकतबा दारुत्तुरास – क़ाहिरा।
- 28-उजालतुर्राग़िब अल-मुतमन्नी फ़ी तख़रीज़ किताब “अमलिल यौम वल लैलति” लिब्निस्सुन्नी, अन्वेषी: सलीम हिलाली, प्रकाशक: दार इब्ने हज़म – बैरुत।
- 29-सहीह अल-कलिम अल-तैयिब, लेखक: इब्ने तैमीय्या, अन्वेषी: मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी, तृतीय संस्करण, प्रकाशक: अल-मकतब अल-इसलामी – बैरुत।
- 30-अल-असरार अल-मरफूआ फ़ी अख़बार अल-मौजूआ (अल-मौजूआत अल-कुब्रा), लेखक: मुल्ला अली क़ारी, अन्वेषी: डॉक्टर मुहम्मद बिन लुत्फ़ी स़ब्बाग़, प्रकाशक: अल-मकतब अल-इसलामी – बैरुत।
- 31-नक्दुल मन्कूल वल मुहिक्क अल-मुमथियज़ बैनल मरदूद वल मक़बूल, लेखक: इब्नुल क़ैयिम, अन्वेषी: अब्दुरहमान बिन यह्य्या अल-मुअल्लिमी यमानी, प्रकाशक: दारुल आसिमा – रियाज़।
- 32-किताबुल मजरूहीन मिनल मुहद्दीसीन, लेखक: इब्ने हिब्बान, अन्वेषी: हमदी बिन अब्दुल मजीद सलफ़ी, प्रकाशक: दारुस्सुमैई – रियाज़।
- 33-अल-कामिल फ़ी ज़ुआफ़ाईरिजाल, लेखक: इब्ने अदी, अन्वेषी: आदिल अब्दुल मौजूद व अली मुअव्विज़, प्रकाशक: दारुल कुतुब अल-इल्मीय्या – लेबनान।
- 34-मौसूअतु अक़वाल अबिल हसन दारकुतनी फ़ी रिजालिल हदीस व इललिहि, संकलन: शोध कर्ता समूह, प्रकाशक: आलमुल कुतुबा – लेबनान।

- 35-अल-इलल मुतनाहिया फ़िल अहादीस अल-वाहिया, लेखक: इब्नुल जौज़ी, सएहतमाम (सव्यवस्था): खलील मसीस, प्रकाशक: दारुल कुतुब अल-इल्मीय्या – लेबनान।
- 36-किताबुल इलल व मअरिफ़तिर्रिजाल, लेखक: अहमद बिन हम्बल, अन्वेषी: वस़ीयुल्लाह अब्बास, प्रकाशक: दारुल ख़ानी – बैरूत।
- 37-किताबुल जर्ह वत्तादील, लेखक: अब्दुर्रहमान बिन अबू हातिम अल-राज़ी, प्रकाशक: दारुल कुतुब अल-इल्मीय्या – लेबनान।
- 38-कश्फुल ख़फ़ा व मुज़ीलुल इलबास अम्मा इशतहरा मिनल अहादीस अला अल-सिनतिन्नास, लेखक: इसमाईल बिन मुहम्मद अजलूनी, सएहतमाम (सव्यवस्था): अहमद अल-क़ल्लाश, प्रकाशक: मुअस्सतुर्रिसाला – बैरूत

## विस्तारित विषय सूची

● भूमिका
● पुस्तक की आम विषय सूची
● इस बुनियादी ज्ञान एवं नियम का उल्लेख कि दुआ (प्रार्थना) इबादत (पूजा) है
● समस्त इबादतों के मध्य दुआ का महत्व
● शफ़ाअत (सिफ़ारिश) से संबंधित नियम
● अध्याय: क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफ़ाअत के प्रकार
1- <b>पहली शफ़ाअत:</b> हिसाब आरंभ करने के लिए आपका शफ़ाअत करना
2- <b>दूसरी शफ़ाअत:</b> मोमिनों को जन्नत में प्रवेश दिलाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सिफ़ारिश करना
3- <b>तीसरी शफ़ाअत:</b> ऐसे लोगों को जन्नत में प्रवेश दिलाने के लिए सिफ़ारिश करना जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं होगा,
4- <b>चौथी शफ़ाअत:</b> अपने चाचा अबू तालिब की यातना में कमी के लिए आपका सिफ़ारिश करना
5- <b>पाँचवीं शफ़ाअत:</b> गुनाह -ए- कबीरा के अपराधी मोमिनों को अपने गुनाहों के समान यातना भोग लेने के पश्चात उन्हें जन्नत में प्रवेश दिलाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सिफ़ारिश करना
■ तीन चेतावनियां
■ एक दुविधा एवं उसका समाधान
■ महत्वपूर्ण टिप्पणी
<b>पहली भ्रांति:</b> इस संसार में मध्यस्थता और सिफ़ारिश के तरीके से तुलना करते हुए अल्लाह से की जाने वाली सिफ़ारिश का अनुमान लगाना
1- पहला: अल्लाह तआला ने हमें यह आदेश दिया है कि हम बिना किसी वास्ता के प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह से दुआ करें

2- दूसरा: ग़ैरुल्लाह से दुआ करना शिर्क -ए- अकबर है चाहे वह जिस ज़रिये व माध्यम से भी दुआ करे, चाहे किसी को वास्ता बनाये अथवा किसी और माध्यम से। चारों मज़हब के सभी उलेमा का यही मत है:
a) हनफ़ी उलेमा के कथन
b) शाफ़ई उलेमा के कथन
c) हम्बली उलेमा के कथन
d) मालिकी उलेमा के कथन
e) वो उलेमा जिन्होंने स्वयं को किसी विशेष मज़हब (पंथ) में सीमित नहीं किया है
3- तीसरा उत्तर: यह है कि बंदा का अपने रब तथा खुद के दरम्यान किसी को वास्ता बनाना, बिल्कुल मक्का के मुश्रिकीन जैसा कृत्य है जिनके साथ-साथ सारे संसार की हिदायत व पथप्रदर्शन के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अवतरित किया गया था,
4- चौथा उत्तर: यदि अल्लाह तआला को अपने तथा बंदों के बीच वास्ता व माध्यम बनाना पसंद होता तो इसका विस्तारित आदेश कुरआन व हदीस में तफ़्सील के साथ मौजूद होता
5- पाँचवां कारण: अल्लाह तआला तथा उसके बंदों के मध्य यदि वास्ता व माध्यम बनाना जायज़ होता तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ऐसा अवश्य किया होता
6- छठा कारण: ये लोग जिसे वास्ता बनाते हैं उससे केवल समृद्धि की स्थिति में ही दुआ करते तथा उसे पुकारते हैं, और जब किसी विपदा एवं संकट में फंसते हैं तो इन वास्तों एवं माध्यमों को भूल जाते हैं
7- सातवां कारण: भाषाई एवं शरई दोनों आधार पर सिफ़ारिश तलब करना तथा वास्ता बनाना इसको कहा जाता है कि: कोई व्यक्ति किसी से यह निवेदन करे कि वह उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए किसी तीसरे के पास वास्ता व माध्यम बन जाए, लेकिन आज के क़ब्र पूजक जो कर रहे हैं वह इसके विरुद्ध है
8- आठवां कारण: किसी मुर्दा के नेक व महात्मा होने का कदापि यह अर्थ नहीं है कि उसे वास्ता बना लिया जाए।



1- पहला कारण: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आखिरत में लोगों की सिफ़ारिश करेंगे, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि, आपकी सिफ़ारिश के योग्य बनने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुआ माँगी जाए
2- दूसरा कारण: यह है कि मूल रूप से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सिफ़ारिश के मालिक नहीं हैं, कि आप से इसे तलब करना दुरुस्त होगा, सिफ़ारिश का मालिक केवल अल्लाह तआला है अतः इसे अल्लाह से ही तलब किया जाएगा
3- तीसरा कारण: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अन्य लोग अपने मन से जिसकी चाहेंगे सिफ़ारिश नहीं करेंगे, बल्कि ये केवल उन्हीं लोगों की सिफ़ारिश करेंगे जिनके अंदर सिफ़ारिश की तय शर्तें पाई जायेंगी
<ul style="list-style-type: none"> <li>● अध्याय: आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश हासिल करने के शर्ई माध्यम</li> </ul>
4- चौथा कारण: ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगना शिर्क -ए- अकबर है, चाहे जिस माध्यम व वसीला से दुआ किया जाए
5- पाँचवां कारण: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अथवा किसी और से सिफ़ारिश तलब करने वाले से कहा जायेगा कि, कुरआन, सहीह हदीस या उम्मत के इज्माअ (किसी मसले पर सभी उलेमा का एकमत होना) से इसकी एक भी दलील मौजूद नहीं है, जिससे पता चलता हो कि मखलूक (जीव, रचना) से सिफ़ारिश तलब करना जायज़ है
6- छठा कारण: क़्यामत के दिन मोमिनों को जन्नत में प्रवेश दिलाने अथवा जहन्नुम से नजात दिलाने के लिए बहुतेरे लोग सिफ़ारिश करेंगे, केवल अकेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही सिफ़ारिश नहीं करेंगे, उदाहरणस्वरूप फ़रिश्ते सिफ़ारिश करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले के अम्बिया सिफ़ारिश करेंगे, शहीद सिफ़ारिश करेंगे, जन्नत में प्रवेश पा चुके मोमिन सिफ़ारिश करेंगे, (मोमिनों के) बच्चे सिफ़ारिश करेंगे, कुरआन मजीद सिफ़ारिश करेगा, रोज़ा सिफ़ारिश करेगा। अतः तुम इन सब से दुआ क्यों नहीं माँगते, एवं इन सभी से सिफ़ारिश क्यों नहीं तलब करते हो?!
7- सातवां कारण: जो लोग संसार से जा चुके हैं, सांसारिक जीवन से उनका संबंध पूर्णरूपेण समाप्त हो चुका है, अब उन पर सांसारिक नियम जैसे, सुनना, देखना, बात करना, हिलना डुलना एवं किसी मामला में कुछ करने का अधिकार रखना इत्यादि को लागू करना सही नहीं है।

8- आठवां कारण: आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें यह आदेश दिया है कि हम लोग आप पर दुरूद भेजें तथा आपके लिए दुआ करें, आपके जीवित रहते हुए भी तथा मरणोपरांत भी, अब जिनकी यह स्थिति हो उनसे अपनी आवश्यकतापूर्ति के लिए कहना कैसे सही हो सकता है?!
9- नौवां कारण: वो सब लोग जिनकी अल्लाह को छोड़ कर पूजा की जाती है, क़्यामत के दिन अपने पूजकों को बेसहारा छोड़ देंगे एवं स्वयं को उनसे अलग-थलग कर लेंगे, ऐसा करने वाले नबी भी होंगे तथा नबी के अलावा और लोग भी
10- दसवां कारण: अहले सुन्नत का इस बात पर इजमाअ (सर्वसहमति) है कि नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कई प्रकार की सिफ़ारिशों का अधिकार प्राप्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन सिफ़ारिशों का प्रयोग अपनी उम्मत के पापियों को क्षमा दिलवाने के लिए करेंगे, किंतु उलेमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से क़ब्र के अंदर सिफ़ारिश माँगने की बात नहीं कही है, अपितु ये समस्त सिफ़ारिशें क़्यामत के दिन के लिए हैं
<ul style="list-style-type: none"> <li>● निष्कर्ष</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● चेतावनी:</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● क़सीदा “बुर्दा शरीफ़” में उल्लेखित शिर्क का बयान</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● तीसरी भ्रांति: वसीला (माध्यम) से संबंधित भ्रांति एवं तीन कारणों से उसका उत्तर</li> </ul>
1- पहला कारण: नेक लोगों को पुकारना अथवा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनसे दुआ माँगना शरई वसीला व माध्यम नहीं है
2- दूसरा कारण: इस आयत से यह नहीं मालूम होता है कि नेक लोगों से दुआ माँगना दुआ के स्वीकार्य होने का माध्यम एवं वसीला है।
3- तीसरा कारण: अल्लाह तआला को ही वास्तविक कर्ता-धर्ता, प्रभावी एवं ब्रह्माण्ड का प्रबंधन करने वाला मानने का, उस समय तक कोई लाभ नहीं है जब तक बंदा दुआ इत्यादि के लिए ग़ैरुल्लाह का रुख करता हो
<ul style="list-style-type: none"> <li>● अध्याय: चीज़ों के मूल रूप एवं उसकी वास्तविकता का एतबार किया जाता है, न कि उसके नाम का, इस संबंध में कुछ और इल्मी साक्ष्य</li> </ul>







<ul style="list-style-type: none"> <li>■ शुब्हा सामने आने पर मोमिनो की आजमाइश व परिक्षा की हिकमत सामने आती है और दीन को प्रभुत्व प्राप्त होता है</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ शुबुहात (भ्रांतियों) को फैलाने वालों के प्रकार:</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ अक्रीदा से संबंधित शुब्हा सबसे संगीन है</li> <li>■ शुबुहात से बचना तथा स्वयं को उससे अलग-थलग रखना वाजिब है</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ शुब्हा फैलाने वालों के संबंध में उलेमा तथा शासकों का दायित्व</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ शुबुहात (भ्रम एवं भ्रांतियों) का उपचार यह है कि सलफ़ व सालेहीन की समझ के अनुसार कुरआन व हदीस का अनुसरण करने वाले उलेमा -ए-रब्बानीयीन की तरफ़ पलटा जाए</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ बातिल परस्त (मिथ्यावादी) अपने शुबुहात (भ्रांतियों) में सच्चाई का मिश्रण कर देते हैं ताकि लोग उसे स्वीकार कर लें</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ बातिल परस्तों (मिथ्यावादियों) के शुबुहात (भ्रांतियों) के खंडन में प्राचीन एवं नवीन उलेमा का किरदार</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● पुस्तक का सार व निष्कर्ष</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोत</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● विस्तारित विषय सूची</li> </ul>